



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 कार्तिक, 1944 (श०)

संख्या - 531 राँची, गुरुवार,

10 नवम्बर, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

14 अक्टूबर, 2022

संख्या-5/आरोप-1-93/2019-17675 (HRMS)--श्री बंका राम, झांझारपुर, तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू सम्प्रति निलंबित के विरुद्ध उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-852, दिनांक 01.11.2019 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध अपने हस्ताक्षर से अवैध रूप से दिनांक 14.06.2018 को विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू के पदनाम से भारतीय स्टेट बैंक, डालटनगंज में संधारित खाता संख्या-11112105417 से 12,60,00,000/- (बारह करोड़ साठ लाख) रुपये की निकासी कर गबन करने का आरोप प्रतिवेदित है।

2. श्री राम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए विभागीय अधिसूचना सं०-3777(HRMS), दिनांक 04.03.2020 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से इन्हें निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प सं०-7860, दिनांक 28.07.2020 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-99, दिनांक 10.02.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित है।

4. श्री राम द्वारा निलंबन से मुक्त करने हेतु दिनांक 21.04.2022 को अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि उनकी निलंबन अवधि दो साल से अधिक हो गयी है, जिस कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है तथा बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है।

5. अतः विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री राम द्वारा समर्पित आवेदन के समीक्षोपरांत निम्नांकित निर्णय लिया जाता है-

(क) श्री बंका राम, तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू सम्प्रति निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है।

(ख) उक्त गबन राशि की वसूली एवं श्री राम के निलंबन अवधि का विनियमन उनके विरुद्ध दर्ज शहर थाना कांड सं०-378/2019 में पारित अंतिम आदेश के फलाफल के आधार पर लिया जायेगा।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Department	Office	Designation	Decision of the Competent Authority	Effective Date	Effect of suspension period on pension
1	2	3	4	5	6	7	8
	BANKA RAM (BHR/BAS/3146)	DIV COMMISSIONER OFFICE SOUTH CHHOTANAGPUR	DIVISIONAL COMMISSIONER SOUTH CHOTANAGPUR RANCHI (RANCHI)	Under Suspension	श्री बंका राम, झांप्र०से०, तत्कालीन विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू को निलंबन से मुक्त किया जाता है।	14/10/2022	It will NOT be calculated for pension purposes

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
